न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज
	दुलीचन्द बनाम बल्लूराम मु.नं. 06/24 (T.D)

दिनांक 6-8-24 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। पत्रावली गत आदेश की पालना में दिनांक 10-9-24 को पेश हो। (Sd)

दिनांक 10-9-24 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। पत्रावली गत आदेश की पालना में दिनांक 15-10-24 को पेश हो। (Sd)

15-10-24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी राज्य कार्य हेतु हाईकोर्ट जयपुर पधारे जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8-11-24 को पेश हो। (Sd)

8-11-24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी विधान सभा के निर्वाचन कार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13.12.24 को पेश हो। (Sd)

13-12-24 पत्रावली पेश हुई अभिभाषक संघ के चुनाव 2024 में सभी अभिभाषकों के व्यस्तता के कारण अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17.1.25 को पेश हो। (Sd)

17.1.25 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अवगत ~~कराया~~ कि प्रार्थी इस पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। वकील वादी/प्रार्थी ने इस बाबत पत्रावली पर Not Press किया। वकील प्रार्थी

Note-press- (Sd) 17/1/25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
दुलीचन्द बनाम बल्लूराम मु.नं.- 06/24 किस्म - T.E	
द्वारा किया गया Not Press को स्वीकार किया जाकर पत्रावली में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। ह० उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर
प्रार्थना पत्र संख्या 06/24
मुनेश कुमार बनाम राज. सरकार
निर्णय दिनांक 31.01.2025

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
06/24	07.02.24	31.01.25

बउनवान

मुनेश कुमार मीना पुत्र रामकिशोर मीना निवासी कंचनपुरा तहसील बैजूपाडा दौसा।

...प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बैजूपाडा जिला दौसा।

...अप्रार्थी

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री लक्ष्मीनारायण मीना।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि भूमि मुतदाविया ग्राम कंचनपुरा तहसील बैजूपाडा दौसा में स्थित खेवट खतोनी सं. नई 158 पुरानी 107 के खसरा सं. 754, कुल रकबा 0.49 हैक्टे. एवं भूमि खेवट खतौनी सं. नई 107 पुरानी 106 के खसरा सं. 100, 101, 126, 127, 128, 140, 141, 142, 143, 167, 168, 169, 65, 67, 753, 813, 88, 89, 92/1126, 925, 926, 927, 928, 929, 93, 933, 933/1125, 934, 935 कुल रकबा 4. 31 हैक्टे. स्थित है। भूमि मुतदाविया वाद पत्र हिन्दू मुश्तर्का खानदान की भूमि रही है जो प्रार्थी को प्रार्थी के पिता रामकिशोर के बाद प्रार्थी को विरासत में प्राप्त हुयी है। भूमि मुतदाविया में प्रार्थी का नामान्तकरण दर्ज करते राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का घर में बोलता नाम मनोज व पिता का घर में बोलता नाम किशोर दर्ज कर दिया जो कि गलत है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पेनकार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड व शैक्षिक दस्तावेतजात आदि में प्रार्थी का नाम मुनेश कुमार मीना व प्रार्थी के पिता का नाम रामकिशोर मीना दर्ज है, जो सही है। प्रार्थी न्यायालय से इस अमर की उदघोषणा अपने हक में करवाने का अधिकारी है कि प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो रहे गलत नाम मनोज व पिता के नाम किशोर को हजफ कर प्रार्थी का सही नाम मुनेश कुमार मीना व पिता का नाम रामकिशोर मीना दर्ज किया जावे। प्रार्थी को उक्त त्रुटि की जानकारी अपनी भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये दिनांक 10.01.24 को भूमि की जमाबंदी रिकॉर्ड आदि की नकल प्राप्त करने के लिये हल्का पटवारी के पास जाने पर हल्का पटवारी के द्वारा दी। प्रार्थी ने उक्त दुरुस्ती के लिये अप्रार्थी को दिनांक 10.01.24 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अप्रार्थी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत देकर भेज दिया व प्रार्थना पत्र को लेने से इंकार कर दिया। अतः निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि मुतदाविया का नामान्तकरण खोलते समय में हुई उक्त त्रुटि को दुरुस्त किया जाये।

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाब नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गयी। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस अभिभाषक प्रार्थी पर मनन किया।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 में प्रावधान है कि :

136. गलतियों का शुद्धिकरण– भू–अभिलेख अधिकारी को किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार– अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस देख लें।

परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जावेगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दे दिया गया हो।)

प्रार्थी खाता संख्या 158 तथा 107 ग्राम कंचनपुरा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में दर्ज प्रविष्टि मनोज पुत्र किशोर को संशोधित कर मुनेश कुमार मीना पुत्र रामकिशोर मीना करवाना चाहता है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र में लिखा गया है कि प्रार्थी का नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थी का बोलता नाम मनोज दर्ज किया गया तथा पिता का बोलता नाम रामकिशोर दर्ज किया गया। स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित जिस प्रविष्टि के सम्बन्ध में दुरुस्ती चाही गई है, वह प्रविष्टि प्रार्थी का नामांतरण दर्ज करते समय हुई है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में लिखित तथ्य तथा तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा जिस प्रविष्टि के सम्बन्ध में दुरुस्ती चाही गई है, वह प्रविष्टि प्रार्थी का नामांतरण दर्ज करते समय हुई है तथा इस प्रविष्टि को संशोधित किया जाना राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की परिधि में नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण पोषनीय नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधान के अंतर्गत पोषनीय नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को न्यायालय में सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)